



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : ५१२६/अका./२००६

रायपुर, दिनांक : २७/०६/२००६

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की दिनांक 02.02.2006 को सम्पन्न 11 वीं बैठक में नियमित छात्रों के लिए एकवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम P.G. Diploma in Watershed Technology & Management से सम्बन्धित नवीन अध्यादेश क्रमांक 162 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के भू-विज्ञान अध्ययन शाला में संचालित होगा। यह नवीन अध्यादेश अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावशील होगा।

अध्यादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : ५१२७/अका./२००६
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : २७/०६/२००६

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
 3. विभागाध्यक्ष, भू-विज्ञान अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
 4. उप कुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय), पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
 5. प्रभारी, उपाधि प्रकोष्ठ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
 6. वित्ताधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
 7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)